Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 118/2015

Dev Narayan Singh & Anr ..... Appellants.

Versus

Randhir Kumar Singh & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा BLDR वाद सं0–282/2013–14 में दिनांक–11.03.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करते हुए दावा किया गया कि अपीलार्थी सं0–01 की पत्नी अपीलार्थी सं0–02 निर्मला देवी सहित रणधीर कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, अमोद कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह एवं बबलू कुमार सिंह सभी पिता–शीतल प्रसाद सिंह द्वारा मसो0 छेदनी देवी पति–स्व0 किशून यादव से कुल 78 डी0 भूमि क्रय किया गया था जिसमें से 0.24 डी0 भूमि उत्तर से अपीलार्थी सं0–02 को प्राप्त है। शेष 0.54 डी0 भूमि दक्षिण तरफ से अन्य क्रेताओं के पक्ष में है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा दक्षिण तरफ की भूमि पर जबरदस्ती दखल कर लिया। उल्लेखनीय है कि बबलू कुमार सिंह अविवाहित गुजर गये। फलतः बबलू कुमार सिंह के हिस्से की जमीन पाँचों भाई में समाहित हो गई। छः भाईयों द्वारा क्रय की गई 0.54 डी0 भूमि पर अपीलार्थी द्वारा दखल कर लिया गया। अपीलार्थी सं0–01 भी शीतल प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। उत्तरवादियों का दावा है कि उनके द्वारा इंदिरा आवास हेतु गृह ऋण प्राप्त कर 0.54 डी0 भूमि पर मकान बनाया गया जिसपर अपीलार्थीगण जबरदस्ती दखल कर लिये। अपीलार्थियों द्वारा निम्न न्यायालय में प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि उत्तरवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में तथ्यों को छुपाते हुए वाद दायर किया गया था। वास्तविकता यह है कि दिनांक–04.07.1996 को अपीलार्थी सं0–02 एवं शीतल प्रसाद सिंह के छः पुत्रों द्वारा उक्त भूमि केवाला द्वारा क्रय की गई थी। छोटे पुत्र बबलू सिंह के मृत्यु पश्चात् उनके हिस्से की भूमि शीतल प्रसाद सिंह के सभी पुत्रों के बीच बराबर विभक्त होना चाहिए। इस प्रकार मात्र उत्तरवादीगण ही 0.54 डी0 के स्वामी नहीं हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि खाता सं0–1111 का कुल रकवा–3.90 एकड़ भूमि अपीलार्थी के दादा जमुना सिंह एवं उनके चार भाईयों	

Web Copy Not Official.

		के नाम दर्ज है। जिसमें 0.78 डी0 भूमि इनके दादा जमुना सिंह के हिस्से में आई। उक्त 0.78 डी0 भूमि जमुना सिंह के तीन पुत्रों शीतल प्रसाद सिंह, मेदनी प्रसाद सिंह एवं नागेन्द्र प्रसाद सिंह के बीच बाँटी गई जिसमें प्रत्येक के हिस्से क्रमशः	
	लगातार 20.07.2023	में 0.26 डी0 भूमि प्राप्त हुई। नागेन्द्र प्रसाद सिंह के द्वारा दिनांक–11.06.1996 को 0.6 डी0 भूमि अपीलार्थी की माँ के पास बिक्री की गई। इस प्रकार 4.33 हिस्सा पिता एवं 4.33 हिस्सा माँ को प्राप्त होने तथा बबलु प्रसाद सिंह का 1.5 डी0 के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में कुल 10.1½ कड़ी भूमि अपीलार्थी सं0–01 को प्राप्त हुई। जबकि अपीलार्थी सं0–02 द्वारा 0.24 डी0 भूमि दिनांक–04.07.1996 को क्रय की गई है। इस प्रकार अपीलार्थियों के हिस्से में 0.34 डी0 से अधिक भूमि प्राप्त है। अपीलार्थी सं0–01 के द्वारा उक्त खेसरा पर इंदिरा आवास का मकान बनाया गया है जिसपर उत्तरवादियों द्वारा झूठा दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए उक्त वाद स्वीकृत किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विवाद को साधारण तरीके से विचार करते हुए विधि की गलत व्याख्या एवं गलत समझ के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो पोषणीय नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। यह सही है कि खाता सं0–473, खेसरा सं0–1111, रकवा–3.90 एकड़ भूमि स्व0 स्वरूपचन्द्र सिंह के पुत्र जामुन प्रसाद सिंह एवं चार अन्य के नाम खतियान दर्ज है। अपीलार्थी सं0–01, एवं उत्तरवादीगण स्व0 शीतल प्रसाद सिंह के पुत्र एवं जामुन प्रसाद सिंह के पोते हैं, जबकि अपीलार्थी सं0–02 निर्मला देवी अपीलार्थी सं0–01 की पत्नी है। कृष्णदेव सिंह पिता–स्व0 स्वरूपचन्द्र सिंह की विधवा छेदनी देवी द्वारा अपने मृतक पति के हिस्से की भूमि 0.24 डी0 उत्तर से एवं 0.54 डी0 दक्षिण से एक विक्रय संलेख सं0–6851 दिनांक–04.07.1996 द्वारा विशिष्ट चौहद्दी के साथ बिक्री की गई जिसमें अपीलार्थी उत्तर से एवं उत्तरवादी दक्षिण से निवास कर रहे हैं। उत्तरवादी सं0–02 के सहयोग से उत्तरवादियों द्वारा इंदिरा आवास योजना अंतर्गत पक्का मकान निर्मित किया गया है। उत्तरवादी सं0–02 सरकारी सेवा में रहने के कारण अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। अपीलार्थी सं0–01 द्वारा यह कहते हुए उस मकान में रहने लगे कि दो वर्ष बाद खाली कर देंगे। उत्तरवादियों ने बड़े भाई पर विश्वास करते हुए उन्हें निवास करने की अनुमति दे दी। अपीलार्थी द्वारा उक्त मकान खाली करने से इनकार करने के विरूद्ध निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया। अपीलार्थी सं0–01 वर्ष 1994 से अपने माँ एवं भाईयों से अलग रह रहे हैं। बबलू	

Web Copy. Not Official.

		कुमार सिंह की मृत्यु वर्ष 2012 में होने के कारण उनके भूमि में अपीलार्थी का कोई हिस्सा नहीं बनता है। अपीलार्थी की दुषित भावना है जो अंचल अमीन द्वारा मापी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सनहा वाद सं0–1219/2010 तथा रानीगंज थाना के सत्यापन प्रतिवेदन एवं 1996 के विक्रय संलेख से स्पष्ट है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में क्रमशः	
	लगातार 20.07.2023	संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत विवाद खतियानी रैयत जामुन प्रसाद सिंह वगैरह के वंशजों के बीच आपसी बँटवारे तथा सह–हिस्सेदारों द्वारा निष्पादित विक्रय संलेख एवं हिस्सेदारी को लेकर है। अपीलार्थी सं0–02 एवं शीतल प्रसाद सिंह के कुल सात पुत्रों में से छः पुत्रों द्वारा एक ही विक्रय संलेख सं0–6851 दिनांक–04.07.1996 द्वारा प्रश्नगत भूमि क्रय की गई। वर्ष 2012 में एक सह–क्रेता अविवाहित बबलू कुमार सिंह की मृत्यु पश्चात् उनके हिस्से की भूमि पर उभय पक्षों द्वारा दावा किया जा रहा है। साथ ही नागेन्द्र प्रसाद सिंह के द्वारा वर्ष 1996 में पक्षकारों की माँ के पास बिक्री की गई 0.6 डी0 भूमि की हिस्सेदारी भी विवादास्पद है। वस्तुतः प्रस्तुत मामले में मूलतः बँटवारा एवं हिस्सेदारी का विवाद है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जो BLDR Act में निरूपित प्रावधानों एवं क्षेत्राधिकार से परे है। जिसका विचारण सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा प्रावधानित अधिनियम एवं क्षेत्राधिकार से परे पारित आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। पक्षकार यदि चाहें तो प्रस्तुत मामले के विचारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.